राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	फुला देवी बनाम भौरीलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1740/2025	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 06/04/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
06/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा खातेदारी इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर आदेश दिनांक 18/04/2013 पारित करते हुये अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया। तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब दावा पेश किया, जिसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब दावे में संधोधन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सीपीसी पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र 06 नियम 17 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर दोनों पक्षों की वहस समायत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18/09/2025 पारित करते हुये [illegible]र्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सीपीसी स्वीकार कर पूर्व में पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दिनांक 18/04/2013 को ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रा[illegible]नों एवं प्रकरण के तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त एवं आवश्यक प्रतीत नही होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18/04/2013 में कोई हस्तक्षेप नही करते हुये अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर